भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड 3(1) में प्रकाशनार्थ

सं0 11030/9/77-अ0भा0से0(11)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001 दिनांक 9 जुलाई, 1977

अधिसूचना

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श के बाद भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1- (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में नियम 8 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :-

"8क- अनुसूची III में दिए गए पदों पर कार्य करने के लिए नियुक्त भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के सदस्यों का वेतन

इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा का कोई सदस्य, जिसे 1-1-1968 से पहले उक्त सेवा में भर्ती किया गया हो और अनुसूची III में निर्दिष्ट किसी पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो, जब तक उक्त पद पर कार्य करेगा तब तक उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट उस पद का वेतन लेने का हकदार होगा"।

के0एल0 नेगी

(के0एल0 नेगी)

अवर सचिव, भारत सरकार